मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गरुवार, दिनांक 16 फरवरी, 2006 (माघ 27, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 606) "डकैत गड़रिया गिरोह की गिरफ्तारी पर व्यय" संबंधी मामले पर शासन के जबाब से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 50 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 51 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज की प्रश्नोत्तर सूची में शामिल सभी 25 तारांकित प्रश्नों का दूसरा चक्र भी निर्धारित समय से पूर्व पूरा होने के कारण कार्यसूची में निहित अन्य विषय लिया जाता है।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने मुरैना जिला चिकित्सालय C.H.C. जौरा कैलारस P.H.C. पहाड़गढ़ में जांच असुविधा बाबत्,

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले सहित नगर एवं उसके आस-पास क्षेत्रों में मिट्टी रेत मुरम आदि का अवैध उत्खनन होने,

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जिला रीवा में लोक निर्माण विभाग द्वारा विद्युत व्यवस्था न होने,

(4) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने मैहर में ओव्हर ब्रिज एवं बायपास रोड का निर्माण कराये जाने, तथा

(5) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा कर्मी संगठन द्वारा विभिन्न मांगो को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखी -

(i) क्रमांक 10-एफ-1-48-04-अठारह-3, दिनांक 20 अगस्त, 2004,
(ii) क्रमांक 17-एफ-1-39-2005-अठारह-3, दिनांक 4 जुलाई, 2005,
(iii) क्रमांक 21-एफ-1-66-2005-अठारह-3, दिनांक 12 जुलाई, 2005,
(iv) क्रमांक 24-एफ-1-65-05-अठारह-3, दिनांक 14 जुलाई, 2005,
(v) क्रमांक 25-एफ-1-37-05-अठारह-3, दिनांक 20 जुलाई, 2005;
(vi) क्रमांक 48-2334-05-अठारह-3, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005.

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000, तथा

(3) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003,
पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने मुरैना से सबलगढ़ जा रही निजी बस में विस्फोट के साथ आग लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा मुरैना से सबलगढ़ जा रहे निजी बस में विस्फोट के समय आग लगने से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर सरकार मरीजों का इलाज कराने के लिए संवेदनशील न होने एवं पीड़ितों को मुआवजा न देने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के सिरोंजी सिंचाई तालाब का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले के -

(क) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,
(ख) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने,
(ग) राजगढ़-कालीपीठ एवं पिपलौदी मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
(घ) ग्राम किला अमरगढ़ में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,
(ङ) राजगढ़ नगर में स्थित पुराने ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराये जाने, तथा
(च) ग्राम सिरोंजी में तालाब निर्माण का कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(2) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने खरगौन जिले के -

(क) सनावद-खरगौन मार्ग पर पुल-पुलिया का निर्माण कराये जाने,
(ख) बड़वाह-धामनौद मार्ग को चौड़ा कराये जाने,
(ग) ग्राम काटकुट से ओखला तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(घ) बड़वाह नगर में शा.बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने,तथा
(ङ) ग्राम जुलवान्या को राजस्व ग्राम घोषित कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

6. वक्तव्य

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दिनांक 29 जुलाई, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 626) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री कैलाश चावला, सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना भाषण प्रारंभ किया।

(भाषण अपूर्ण)

(1.00 से 2.32 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री कैलाश चावला, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उनके पास 18 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई है। उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें मैंने अग्राह्य कर दिया है।

संशोधन बहुत बड़े-बड़े हैं, मैं पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूंगा। केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूंगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

सदस्य का नाम	**संशोधन क्रमांक**
श्री रामलखन शर्मा	1
श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा	2
श्री कृष्णकुमार सिंह (भंवर सहाब)	3
श्री आरिफ अकील	4
श्री मनमोहन शाह बट्टी	6
श्री सज्जन सिंह वर्मा	7
श्री दिलीप सिंह गुर्जर	8
श्रीमती सरोज बच्चन नायक	9
डॉ. आई.एम.पी. वर्मा	10
डॉ. सुनीलम्	11
श्री इन्द्रजीत कुमार	14

श्री उम्मेद सिंह बना	15
श्री रामनिवास रावत	16
डॉ. गोविन्द सिंह	17
डॉ. निशिथ पटेल	18

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दशम् प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री बाबूलाल महाजन, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 17 एवं 24 फरवरी, 2006 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प **निर्धारित समय**

शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 2006

1. (क्रमांक-1)	श्री लाल सिंह आर्य	00.50 मिनट
2. (क्रमांक-13)	श्री उमाशंकर गुप्ता	00.50 मिनट
3. (क्रमांक-16,17,19)	श्री शरद जैन "एडवोकेट", श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. निशिथ पटेल	00.50 मिनट

अशासकीय संकल्प

शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2006

1. (क्रमांक-20,64)	श्री शरद जैन "एडवोकेट", डॉ. निशिथ पटेल	00.45 मिनट
2. (क्रमांक-48)	डॉ. गोविन्द सिंह	00.45 मिनट
3. (क्रमांक-56)	श्री उम्मेद सिंह बना	01.00 घण्टा

श्री बाबूलाल महाजन, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दशम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव एवं संशोधन पर चर्चा (क्रमशः)

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कैलाश चावला, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संशोधन पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री दिग्विजय सिंह

(2) श्री लाल सिंह आर्य **(भाषण अपूर्ण)**

(चर्चा अपूर्ण)

05.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 2006 (माघ 28, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.